भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय औषध विभाग

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 436 दिनांक 19 नवम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

चीन से एपीआई

436. श्रीमती माला रायः

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि सरकार दवाइयों के उत्पादन के लिए सक्रिय भेषज सामग्री (एपीआई) की आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भर है;
- (ख) यदि हां, तो चीन से आयातित कुल प्रतिशत का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) ए.पी.आई. की आपूर्ति में अचानक कमी होने की स्थिति में सरकार की आपात योजना क्या है तथा देश में आयात किए गए ए.पी.आई. हेतु वर्तमान में कौन-सा गुणवत्ता तन्त्र स्थापित किया गया है?

<u>उत्तर</u> रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा)

(क) और (ख): जी, हां। देश में कुछ आवश्यक दवाइयों सिहत औषिधयों के उत्पादन के लिए बल्क औषिधयों/सिक्रिय औषधीय घटकों (एपीआई) का आयात करता है।

भारत का चीन से बल्क औषिधयों, औषिध मध्यवर्ती सामग्रियों के आयात का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| वर्ष | कुल आयात | चीन से आयात | चीन से आयात |
|---------|----------------------|----------------------|-------------|
| | (मिलियन अमरीकी डॉलर) | (मिलियन अमरीकी डॉलर) | का प्रतिशत |
| 2016-17 | 2738.46 | 1826.34 | 66.69% |
| 2017-18 | 2993.25 | 2055.94 | 68.36% |
| 2018-19 | 3560.35 | 2405.42 | 67.56% |

(स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता)

(ग): चीन से आयात आर्थिक कारणों से किया जाता है, तथापि, अमरीका, इटली, सिंगापुर, हाँगकाँग आदि जैसे अन्य स्रोत भी हैं जिनसे आपात स्थितियों में बल्क औषिधेयों/एपीआई का आयात किया जा सकता है। सरकार द्वारा समय-समय पर नीतियां बनाई जाती हैं तािक आयात पर देश की निर्भरता को कम से कम किया जा सके और स्वदेशी विनिर्माण को गति प्रदान की जा सके। इस दिशा में, औषध विभाग ने राज्य सरकारों/राज्य निगमों द्वारा संवर्धित किसी भी आगामी बल्क औषि पार्क में साझे सुविधा केन्द्र के लिए बल्क औषिध उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना अर्थात् 'साझे सुविधा केन्द्र के लिए बल्क औषिध उद्योग को सहायता' योजना तैयार की है। देश में सिक्रय औषधीय घटकों (एपीआई) के विकसित उत्पादन के लिए एक मार्ग तैयार करने के लिए दिनांक 18.04.2018 को राज्य मंत्री (रसायन एवं उर्वरक) की अध्यक्षता में एक अन्तर-मंत्रालयीय कार्यबल का भी गठन किया गया था।

औषिधयों के आयात का विनियमन औषि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इसके अध्यधीन बने नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है। बल्क औषिध (एपीआई) सिहत किसी भी औषिध के आयात के लिए, उक्त अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार विदेशी विनिर्माण स्थल और औषिधयों का पंजीकृत होना और आयात लाइसेंस का प्राप्त होना अनिवार्य है। जब कभी भी आयातित औषिध की गुणवत्ता संबंधी मामले की सूचना प्राप्त होती है, उक्त अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।
